चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चैत्र मास अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में दिनांक 18.03.2026 प्रातः 06.00 बजे से दिनाँक 19.03.2026 रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 19.03.2026 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 20.03.2026 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0 स्थान प्रतिबंधित समय

1. लोढ़वारा मोड, राजापुर मार्ग प्रातः 06.00 बजे से 21.00 बजे तक

2. रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड प्रातः 06.00 बजे से 22.00 बजे तक

3. खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड प्रातः 06.00 बजे से 22.00 बजे तक

4. शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड प्रातः 06.00 बजे से 22.30 बजे तक

5. बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड प्रातः 06.00 बजे से 23.00 बजे तक

1. प्रातः 06.00 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः06.30 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।

2. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी।

भारी एवं मध्यम माल वाहनों का डायवर्जन

* प्रयागराज से बांदा व सतना जाने वाले वाहनः-

- बोड़ी पोखरी चौराहा से राजापुर होते हुये बांदा की तरफ जायेंगे।
- बोड़ी पोखरी चौराहा से पुलिस लाइन तिराहा (खोह), सरैया, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर) होकर सतना की तरफ जायेंगे।
- राजापुर से आने वाले बड़े वाहन पहाड़ी से अतर्रा होकर बांदा की तरफ जायेंगे।

*बांदा से प्रयागराज जाने वाले वाहनः-

1. जीरो प्वाइंट से बबेरू कमासिन राजापुर होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे।

* सतना से प्रयागराज व कौशाम्बी जाने वाले वाहनः-

- बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर),
- बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोड़ी पोखरी चौराहा होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे। लाइन तिराहा (खोह), बोडी पोखरी चौराहा, राजापुर होकर कौशाम्बी की तरफ जायेंगे।

दो पहिया एवं हल्के वाहन (तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का डायवर्जन-

1. जानकी कुण्ड एवं सतना की तरफ जाने वाले दो पहिया एव हल्के वाहन(तीन पहिया, चार पहिया वाहन) धनुष चौराहा से देवांगना घाटी होते हुये जायेंगे।

(3). आज दिनांक 17.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों के साथ दिवंगत आरक्षी राजेन्द्र कुमार बिन्द को दी गयी श्रद्धांजली। आरक्षी राजेन्द्र कुमार बिन्द पीएनओ 182201309 जो काफी लम्बे समय से लीवर की बिमारी के कारण BHU बनारस, में उपाचाधीन थे,जिनका दिनांक 16.03.2026 को समय करीब 18.00 बजे निधन हो गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी

अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 17.03.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पुष्पेन्द्र यादव पुत्र राजकरन निवासी ग्राम नोनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5464/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 17.03.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 81/24 धारा 279,437 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जान मोहम्मद पुत्र रहीम खान निवासी अकबरपुर पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 17.03.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवलेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र बैजनाथ पाण्डेय निवासी शोभा सिंह का पुरवा इलाहाबाद रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(7). आज दिनांक 17.03.2026 को चैत्र मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंदाकिनी भवन सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में मेला में तैनात पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए सभी अपर पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन प्वाइंट पर ड्यूटी लगी है वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पुरे पुलिस फोर्स को 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 13 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 65 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 195 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,52 महिला कांस्टेबल, 03 निरीरक्षक/उपनिरीक्षक यातायात, 24 हेड

कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 02 उ0नि0 एलआईयू, 06 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू,01 डॉग स्क्वायड,01बीडीएस, 01 एसचेक, पीएससी की एक कम्पनी फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली एवं मेला में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा लूट के एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.03.2026 को वादी ओमप्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 संतनारायण शुक्ला निवासी गुप्तगोदावरी के सामने थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 ने सूचना दी कि उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीन कर 02 बदमाश खोही मुख्य सड़क की तरफ भाग रहे है। इस सूचना पर तत्काल विश्वास करते हुए उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराही आरक्षी आशीष कुमार के बताये हुये स्थान की तरफ तेजी से पहुंचे तो तथा जानकारी के अनुसार खोज करने पर एक व्यक्ति अरहर की खेत में जा छिपा था जिसको पुलिस टीम व वादी के साथ घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम श्यामा निषाद उर्फ गोविन्द पुत्र मुन्ना निषाद निवासी गल्ला मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया गया। जामा तलाशी से जेब से सोने/पीली धातु का लॉकेट गुरिया मुगी हुई बरामद हुआ। कड़ाई से पूछने पर अपने साथी का नाम विवेक पुत्र हीरालाल निवासी अहिरनपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जपनद चित्रकूट बताया गया, जो मैके से फरार हो गया है। इस सूचना पर वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 148/2026 धारा 309(4),317(2) बीएनएस बनाम 1. श्यामा निषाद उर्फ गोविन्द पुत्र मुन्ना निषाद निवासी गल्ला मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. विवेक पुत्र हीरालाल निवासी अहिरनपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जपनद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग

2.आरक्षी आशीष कुमार